

कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उज्जैन

क्रमांक/  
प्रति

/पीपीयू/27/11/नग्रानि

उज्जैन, दिनांक

श्रीमती रजिया बानो पति अ रशीद खॉन  
श्री शाहिद खॉन पिता अ. रशीद खॉन  
102, ब्लाक-ए, पुलिस क्वार्टर नीलगंगा पुलिस स्टेशन  
उज्जैन

विषय :- ग्राम निमनवासा सर्वे क्र० 339/मीन-2 रकबा 411.45 वर्ग मीटर  
भूमि पर औद्योगिक शेड (Industrial Shed) निर्माण हेतु स्थल  
अनुमोदन बाबत।

संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 30.8.11

-0-

उपरोक्त विषय में लेख हैं कि आपके आवेदन दिनांक 30.8.11 द्वारा उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों एवं शपथ-पत्र के आधार पर एतद् द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 30 (1) (ख) तथा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 2 (5) (क) एवं नियम 27 के अधीन ग्राम निमनवासा सर्वे क्र० 339/मीन-2 रकबा 411.45 वर्ग मीटर में से मार्ग विस्तार के अन्तर्गत आने वाली भूमि को छोड़कर शेष भूमि रकबा 300 वर्ग मीटर पर संलग्न मानचित्र में लाल रंग से किये गये संशोधनों के अनुसार औद्योगिक शेड (Industrial Shed) निर्माण हेतु स्थल अनुमोदित कर, विकास अनुज्ञा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए दी जाती हैं :-

1. संलग्न मानचित्र में दर्शाए अनुसार भूमि के उत्तर दिशा स्थित विद्यमान मार्ग मध्य से 6.0मी. भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ी जावें तथा पूर्व दिशा में स्थित विद्यमान गली के मध्य से 4.5 मी. भूमि मार्ग विस्तार हेतु छोड़ी जाना आवश्यक होगा। उसके पश्चात संलग्न मानचित्र में दर्शाये अनुसार सीमांत खुला क्षेत्र छोड़ना आवश्यक होगा।
2. यह अनुज्ञा केवल औद्योगिक उपयोग के अन्तर्गत (Industrial Shed) हेतु दी जा रही है, इसे किसी भी प्रकार के उपविभाजन की अनुमति नहीं माना जावे।
3. प्रस्तावित औद्योगिक परिसर में नियमानुसार पार्किंग हेतु क्षेत्र आरक्षित रखना आवश्यक होगा।
4. प्रस्तावित भूमि का भू-व्यपवर्तन म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 (संशोधन अधिनियम क्र० 22 सन् 2003 द्वारा प्रतिस्थापित) के तहत अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), उज्जैन से उनके नियमों/अधिनियमों के अंतर्गत कराना होगा।
5. भूतल पर आच्छादित क्षेत्र 30% से अधिक मान्य नहीं होगा। औद्योगिक शेड की उँचाई 10.0 मीटर से अधिक मान्य नहीं होगी। मानचित्र में दर्शाये अनुसार मार्ग विस्तार की भूमि तथा सीमांत खुला क्षेत्र (मार्जिनल ओपन स्पेस) को स्थल पर यथावत छोड़ा जाना आवश्यक होगा। जिस पर किसी भी प्रकार का निर्माण मान्य नहीं होगा।

- 6 म0प्र0 भूमि विकास नियम 1984 के तहत यदि कोई अनापत्ति/अनुज्ञा आवश्यक हो तो उनका अनुपालन सुनिश्चित कराया जावे एवं अनुज्ञा की उपरोक्त शर्तों का पालन सुनिश्चित कर भवन निर्माण अनुज्ञा नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा दी जावेगी ।
- 7 किसी भी प्रकार के विकास / निर्माण कार्य करने से पूर्व समस्त संबंधित विभागों/संस्थाओं से नियमानुसार अनुमति/अनापत्ती प्राप्त करना अनिवार्य होगा ।
- 8 यह अनुज्ञा पत्र के जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष तक वैध रहेगी। समयावधि में विकास/निर्माण कार्य सम्पन्न न होने पर समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन निश्चित समयावधि के पूर्व इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा ।
- 9 संलग्न अभिन्यास को भू-स्वामित्व का दस्तावेज न समझा जावे ।
- 10 निम्नलिखित अधिनियम/नियम/सक्षम अधिकारियों से आवश्यक अनापत्ति/अनुज्ञा प्राप्त की जावे :-  
1 नजूल अधिकारी ।  
2 सक्षम प्राधिकारी, नगर भूमि सीमा, उज्जैन ।  
3 अन्य किसी अधिनियम के अन्तर्गत कोई अनुमति किसी विभाग से प्राप्त करना आवश्यक हो उसे अनिवार्य रूप से प्राप्त किया जावे ।
- 10 किसी भी प्रकार के भू-स्वामित्व अथवा सीमा संबंधी वाद होने पर, आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाई जाने पर या उक्त अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन होने पर यह अनुज्ञा म.प्र. भूमि विकास नियम 1984 के नियम 25 के तहत प्रतिसंहत की जा सकेगी ।

संलग्न :- एक अनुमोदित मानचित्र

उप संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
उज्जैन


पृष्ठा. क्र. 1983/पीपीयू/27/11/नग्रानि  
प्रतिलिपि :-

उज्जैन दिनांक (5/9/11)

- 1 अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व), उज्जैन की ओर कृपया सूचनार्थ होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित
- 2 आयुक्त नगर पालिक निगम, उज्जैन की ओर सूचनार्थ होकर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3. जिला पंजीयक, जिला उज्जैन की ओर अग्रेषित कर लेख है कि वर्ष 2010-11 के बाजार मूल्य मार्गदर्शक सिद्धांत अनुसार विषयांकित भूमि का मूल्य रूपये 7,46,000/-प्रति हेक्टर की दर के मान से विकास अनुज्ञा शुल्क जमा कराया गया है। यदि दर इससे भिन्न हो तो कृपया अवगत कराने का कष्ट करें।

✓ 4. वेबसाईड प्रति  
संलग्न :- एक अनुमोदित मानचित्र

  
उप संचालक  
नगर तथा ग्राम निवेश  
उज्जैन